

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रेमराम परमार, आर.ए.एस.

1. अपील संख्या 72/2017

1. चड़सिंह
 2. अमृतपालसिंह
 3. नरसिंह
 4. गुरमेलकौर
 5. अमरजीतकौर
- पुत्र/पुत्रियां अजायबसिंह जाति जटसिख निवासी
बिलोचिया तहसील श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर।

— अपीलार्थीगण

बनाम

1. काकासिंह
 2. राजसिंह
 3. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार श्रीकरणपुर।
- पिसरान हाकमसिंह जाति जटसिख निवासीगण
भुट्टीवाला तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर।

—रेस्पोंडेन्ट्स



2. अपील संख्या 73/17

1. काकासिंह
 2. राजसिंह
- पिसरान हाकमसिंह जाति जटसिख निवासीगण गांव
भुट्टीवाला तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर।

— अपीलार्थीगण

बनाम

1. चड़सिंह
 2. अमृतपालसिंह
 3. नरसिंह
 4. गुरमेलकौर
 5. अमरजीतकौर
- पुत्र/पुत्रियां अजायबसिंह जाति जटसिख निवासीगण
बिलौचिया तहसील श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर।

(Handwritten signature)

29/9/17

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

अपील अर्न्तगत धारा 225 रा.का.अ. 1955
विरुद्ध आदेश उपखंड अधिकारी श्रीकरणपुर
दिनांक 26.04.2017

उपस्थिति:-

श्री तेजासिंह अभिभाषक चड़सिंह आदि की ओर से
श्री जरनेलसिंह टुरना, अभिभाषक काकासिंह आदि की ओर से
श्री इकबालसिंह, राजकीय अधिवक्ता


निर्णय

दिनांक :- 29.09.2017

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थीगण/वादीगण कासिंह व राजसिंह ने एक वाद न्यायालय उपखंड अधिकारी श्रीकरणपुर के समक्ष पेश किया जिसके साथ रा.का.अ. की धारा 212 अप्रार्थीगण के विरुद्ध वाद के निर्णत तक चक 22 ओबी के मु.न. 12 के कि.न. 2, 9, 12, 13, 18, 23 व 21/3 की 1.581है0 भूमि में से अपने नाम दर्ज 0.531है0 भूमि को खुर्द-बुर्द, मुन्तकिल करने से प्रार्थीगण के कब्जा काश्त में दखल अन्दाजी करने से बाज व ममनू रहे तथा मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे जाने का निवेदन किया ।

अप्रार्थीगण चड़सिंह ने जबाव प्रार्थना पेश कर प्रार्थना पत्र खारिज करने का निवेदन किया ।

सुनवाई करने के पश्चात उपखंड अधिकारी श्रीकरणपुर ने दिनांक 26.04.2017 को प्रार्थीगण का प्रा.पत्र आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए अप्रार्थीगण के नाम दर्ज 0.531है0 भूमि की मौका एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने के आदेश दिये एवं प्रार्थीगण को आदेशित किया गया कि वह इस विवादित भूमि के सम्बन्ध में 3000/-रु0 प्रतिबीघा प्रतिवर्ष नकद प्रतिभूति तहसील में जमा करावें । उक्त आदेश के विरुद्ध दोनों अपीलें पेश हुई है। चूकि दोनों ही अपीले एक ही आदेश के विरुद्ध होने से एवं उभय पक्ष द्वारा एक साथ बहस किये जाने से दोनों अपीलों का निर्णय एक साथ किया जा रहा है। निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली में शामिल की जावें ।


राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)



उभय पक्ष की बहस सुनी गई ।


चड़सिंह आदि के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलार्थी अभिलिखित खातेदार है एवं अभिलिखित खातेदार के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती । रेस्पो. अपने हिस्से तक अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त कर सकते है । रेस्पो. ने भूमि को रहन बेय व मुन्तकिल नहीं करने सम्बन्धी अनुतोष चाहा था नकद प्रतिभूति का अनुतोष नहीं चाहा था । अधी.न्यायालय ने प्लीडिंग्स के बाहर जाकर अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की है । अतः निवेदन है कि चड़सिंह द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जावें ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट काकासिंह आदि ने अपनी बहस में मुख्य रूप से अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलार्थीगण का विवादित भूमि पर पिछले 50 वर्षों से कब्जा काश्त चला आ रहा है ऐसी स्थिति में काकासिंह के पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने में कोई बांधा नहीं थी । अधी. न्यायालय ने नकद प्रतिभूति जमा कराने के जो आदेश दिये है वह न्यायोचित नहीं है । अतः नकद प्रतिभूति के आदेश को निरस्त करते हुए विवादित 0.531 है० भूमि को खुर्द-बुर्द व मुन्तकिल नहीं करने एवं प्रार्थीगण के कब्जा काश्त में हस्ताक्षेप नहीं करने एवं मौका एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने के आदेश दिये जावें ।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया ।

अपील चड़सिंह बनाम काकासिंह अपील संख्या 72/2017 में अधी. न्यायालय के निर्णय दिनांक 26.04.2017 के विरुद्ध पेश की है जिसमें विवादित भूमि 3000/-रु. प्रतिबीघा नकद प्रतिभूति पर दी गई हैं उसे निरस्त कर रेस्पो. को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करने के अनुतोष चाहा वहीं अपील संख्या 73/2017 काकासिंह बनाम चड़सिंह में इसी फैसले दिनांक 26.04.2017 में 3000/-रु० प्रतिबीघा प्रतिवर्ष निरस्त कर अपीलांट के कब्जे में दखलंदाजी न






राजसू अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

करे तथा विवादित आरजी को खुर्द-बुर्द न करे तथा मुन्तकिल न करे का अनुतोष चाहा।

अधी.न्यायालय के रेकार्ड का अवलोकन किया, अधी.न्यायालय के निर्णय दिनांक 26.04.2017 का सार है कि दोनों अपीलों में पक्षकार काकासिंह के पक्ष में सुविधा का सन्तुलन विनिश्चित हुआ है जिसमें हस्तक्षेप की गुंजाइस नहीं होने से अपील संख्या 72/2017 चड़सिंह बनाम काकासिंह खारिज की जाती है तथा अपील संख्या 73/2017 इस रूप में स्वीकार की जाती है कि विवादित आराजी काकासिंह को नकद प्रतिभूति राशि पर देने के बजाय मौतबिर जमानत पर दी जाये। शेष अधी.न्यायालय का निर्णय यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 29.09.2017 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(प्रेमराम परमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगगांनगर

